आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत आर०एम० वाद सं०—09 / 2017—18 पुसवा उराँव......विक्रेता

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक—976(ii)/रा० दिनांक—21.09.2022, एवं ज्ञापांक—1093(ii)/रा० दिनांक—14.10.2022, के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता पुसवा उराँव पिता—स्व० वुधवा उराँव, ग्राम—नवाडीह, पो०—नवाडीह, थाना—बुण्डू, राँची, जाति—उराँव, पेशा—खेती, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अनुमित वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमित वाद में किसी प्रकार की कोई अभिक्तिच नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमित की कार्यवाही समाप्त की जाती

भूमि का विवरण

थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
स०		सं०	
बुण्डू	11	462	0.8 डी०
	स०	स०	स० सं०

लेखापित एंव संशोधित। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

है ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।